



2026:AHC:64974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11133/2026

आलम उर्फ आलम पाशा एवं 6 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अमीरुद्दीन सिद्दीकी, अंकित शुक्ला

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित शुक्ला, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत, इस आवेदन को स्वीकार करने और वाद संख्या 40120 वर्ष 2025 (सी.एन.आर. संख्या यूपीएमओ040484242025) (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आलम / फैसल एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। यह मामला वाद अपराध संख्या 460 वर्ष 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 74, 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ ही, आरोप पत्र संख्या 460/2024 दिनांक 08.09.2024 और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 16.07.2025 को पारित संज्ञान/ समन आदेश को भी,



समझौता विलेख/ समझौता-करार दिनांक 10.12.2025 के आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकार दिनांक 10.12.2025 के समझौते (संलग्नक संख्या 4) के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौते को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2026 (संलग्नक संख्या 6) के माध्यम से विधिवत सत्यापित कर दिया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 के बीच वैवाहिक मनमुटाव के कारण उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, धमकी या प्रलोभन के समझौता किया है, तथा वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। अतः, पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए। वे प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया है और यह कथन किया है कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है, तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के सत्यता का खंडन नहीं किया।

7. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद को निरस्त करने के संबंध में विधि सुव्यवस्थित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एससीसी 675 के निर्णय में यह अभिलिखित किया गया है कि "उच्च न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) तथा आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, विशेषकर वैवाहिक विवादों में जहाँ पक्षकारों के मध्य वास्तविक समझौता हो चुका हो।



न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, जिसमें समझौता योग्य अपराधों का उल्लेख है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती, तथा इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौते को प्रोत्साहित करने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, भले ही अपराध अन्यथा असमझौतायोग्य हों।”

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** के अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह निर्धारित किया है कि: "किन्तु वे आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति प्रधान होती है, उन्हें निरस्त करने के उद्देश्य से एक अलग श्रेणी में रखा जाता है; विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेनदेन से उत्पन्न होते हैं, अथवा वे अपराध जो दहेज आदि से संबंधित विवाह या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, जहाँ किया गया दोष मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना नगण्य और क्षीण है, तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रहकारी होगा, और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण समाधान व समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।”

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एससीसी 641** के प्रकरण में अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही के निरस्तीकरण के व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, यह कहते हुए कि "असमझौता योग्य मामलों में भी, समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और उसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रयुक्त किया जा सके।”



10. दोनों पक्ष संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों के अवलोकन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान वाद समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रकरण है।

11. विवाद पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ निपटा लिया गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

12. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत यह वर्तमान याचिका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025** में प्रतिपादित मानकों के अंतर्गत आता है।

13. उपरोक्त के आलोक में, केस अपराध संख्या 460 वर्ष 2024 से उत्पन्न वाद संख्या 40120 वर्ष 2025 (सी.एन.आर. संख्या यूपीएमओ040484242025) (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आलम / फैसल एवं अन्य), धारा 85, 74, 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

28 मार्च, 2026

(नन्द प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति)